प्रेस नोट दिनाँक-15.09.2020

(1). दिनांक 14.09.2020 को रात्रि में पुलिस कार्यालय सोनेपुर स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सैनिक सम्मेलन-

(1). महोदय द्वारा पिछले सैनिक सम्मेलन में प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में पूछा गया।

(2). उपस्थित अधि0/कर्मचारीगणों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया जिनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(3). माह अगस्त में जनसुनवाई में जनपद चित्रकूट को प्रथम स्थान होने पर आईजीआरएस शाखा में नियुक्त आरक्षी प्रमोद कुमार, महिला आरक्षी अनीशा बानों तथा थाना पहाड़ी में नियुक्त महिला आरक्षी स्वाती को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। माह अगस्त में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा रहे निरीक्षक श्री जयशंकर सिंह व उ0नि0 श्री मोहम्मद अकरम तथा उनकी टीमों द्वारा 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था जिसके लिये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मासिक अपराध गोष्ठी-

मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये-

(1). थानास्तर पर सीसीटीएनएस के अनुसार लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर, सभी को सख्त निर्देश दिये गये कि लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करें।

(2). अपराधियों की नयी हिस्ट्रीसीट खोलने हेतु निर्देश दिये गये।

(3). जमानत या पैरोल पर रिहा अपराधियों के सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

(4). शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं आईजीआरएस से प्राप्त प्रार्थना पत्रों में मौके पर जाकर सभी प्रार्थना पत्रों का समय से निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

(5). पुरुस्कार घोषित अपराधी,मफरूर एवं माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया।

(6). टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही व जमानत निरस्तीकरण व निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(7). धारा 82/83 सीआरपीसी के अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

(8). वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

(9). शस्त्रों का सत्यापन कर मुकदमें वाले शस्त्र धारकों के शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(10). माल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध गोष्ठी में श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक, श्री रजनीश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी नगर, श्री यतीन्द्रनाथ उमराव मुख्य अग्निशमन अधिकारी, समस्त थाना/चौकी प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक रेडियो, प्रभारी सोशल मीडिया सेल, प्रभारी

मॉनीटरिंग/डीसीआरबी, प्रभारी एलआईयू, प्रभारी यातायात, वाचक पुलिस अधीक्षक, स्टेनो पुलिस अधीक्षक, प्रधान लिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी आंकिक शाखा, उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को 01 किलो 800 ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सत्यदेव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अहिरन पुरवा मजरा छीबो से अभियुक्त रतिभान पुत्र रामनरेश निवासी अहिरन पुरवा छीबो थाना राजापुर को 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

600 ग्राम गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्यदेव सिंह थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार
3. आरक्षी जब्बार अहमद

(ii). श्री अनिल कुमार साहू प्रभारी चौकी सरैंया तथा उनकी टीम द्वारा हनुवा मोड़ राजापुर रोड से अभियुक्त श्रीपाल कोल पुत्र स्व0 भोला कोल निवासी गोविन्द नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 117/2020 धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

600 ग्राम अवैध सूखा गांजा

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी सरैंया
2. मुख्य आरक्षी सचिन कुमार
3. आरक्षी विकास कुमार यादव

(iii). उ0नि0 श्री अवधेश कुमार मिश्रा थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा बस स्टैण्ड कस्बा मानिकपुर से अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र राकेश सिंह निवासी मायाराम का पुरवा धारूपुर थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी को 600 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 116/2020 धारा 08/20 N.D.P.S. एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

600 ग्राम अवैध सूखा गांजा

<u>बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार मिश्रा थाना मानिकपुर
2. आरक्षी अनिल कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 14.09.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना कोतवाली कर्वी में 12 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये।

जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(4). आज दिनाँक 15.09.2020 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की अध्यक्षता में तहसील कर्वी में तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अमित आसेरी, मुख्य चिकित्साधिकारी श्री विनोद कुमार, उपजिलाधिकारी सदर श्री रामप्रकाश, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्रवण कुमार सिंह तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). दिनांक 15.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सुनैना देवी पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी कसहाई रोड गोल तालाब कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति सतीश कुमार व ससुरालीजन उसके साथ मारपीट कर अतिरिक्त दहेज की मांग करते है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायतकर्ता को पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र जाने का सुझाव दिया गया । परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्री बैजनाथ सिंह, मुख्य आरक्षी अरुण कुमार तथा महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा पत्नि श्रीमती सुनैना देवी की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, पति श्री सतीश कुमार एवं ससुरालीजन से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । पति श्री सतीश कुमार एवं ससुरालीजनों द्वारा भविष्य में अपनी पत्नि/बहू से विवाद न करने की बात कही। दोनों पक्षों में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें ।

(6). दिनांक 14.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती पूनम पुत्री मतगंजन पत्नी भोला निवासी धुनुवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति भोला व ससुरालीजन उसके साथ मारपीट कर अतिरिक्त दहेज की मांग करते है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायतकर्ता को पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र जाने का सुझाव दिया गया । परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्री बैजनाथ सिंह, मुख्य आरक्षी अरुण कुमार तथा महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा पत्नि श्रीमती पूनम की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, पति श्री भोला एवं ससुरालीजन से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति श्री भोला एवं ससुरालीजनों द्वारा भविष्य में अपनी पत्नि/बहू से विवाद न करने की बात कही। दोनों पक्षों में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें ।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 113/2020 धारा 364/302/201/429 भादवि0 के वाँछित/फरार चल रहे अभियुक्त (1) लखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन कोल पुत्र छक्कीलाल कोल निवासी उमरहन मजरा माराचन्द्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट (2) बबलू उर्फ नरेन्द्र कुमार उर्फ नर्बदा निवासी डांडी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को काली घाटी से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की । अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक राजू के हाथ बांधने वाली साफी बरामद की गयी ।

उल्लेखनीय हैं दिनाँक-01.09.2020 को श्री कल्लू यादव निवासी बजहापुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के पुत्र राजू उर्फ साधू यादव जो बजहा जंगल में बकरी चराने गया था का बकरा चोरी कर लिया था । बकरे के शोर मचाने की आवाज पर मृतक जैसे ही जंगल में पहुंचा कि खकरी की आड़ में घात लगाकर बैठे उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने साथियों की मदद उसे मारपीट कर बंधक बना लिया था । चूंकि अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व में भी कई बार बजहा के जंगल से बकरा चोरी किये गये है । भेद न खुल सके इस कारण मारकर गायब करने के उद्देश्य से सह अभियुक्तगणों के साथ बहिलपुरवा के जंगल में अपहरण कर बंधक बनाए रखे । दिनाँक-05/06.09.2020 की रात्रि में मृतक जब भागना चाहा तो कुल्हाड़ियों से मार कर उसकी हत्या कर दी थी । शिनाख्त छिपाने हेतु शव को रेलवे पटरी पर रख दिया था ताकि ट्रेन से कटने की वजह से शव क्षत-विक्षत हो जाये तथा उसकी शिनाख्त न हो सके । मृतक के पिता की तहरीर पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0113/2020 धारा 364/302/201/429 भादवि0 पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर को निर्देश दिये गये । प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम

द्वारा घटना से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को दिनाँक-13.09.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनाँक-15.09.2020 को अभियुक्त लखन व अभियुक्त बबलू उपरोक्त को मृतक के हाथ बांधने वाली साफी के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

मृतक के हाथ बांधने वाली साफी

अभियुक्त लखन उर्फ लखना कोल उर्फ रामलखन पुत्र छक्कीलाल निवासी उमहरन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 46/12 धारा 395/397/307 भादवि0 जीआरपी कर्वी
2. मु0अ0सं0 507/92 धारा 25 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0 08/93 धारा 395/397 भादवि0 थाना बहिलपुरवा
4. मु0अ0सं0 10/93 धारा 147/148/149/307/117 भादवि0 थाना बहिलपुरवा
5. मु0अ0सं0 16/93 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहिलपुरवा
6. मु0अ0सं0 38/93 धारा 395/307 भादवि0 थाना मानिकपुर
7. मु0अ0सं0 41/93 धारा 395/307/412 भादवि0 थाना मानिकपुर
8. मु0अ0सं0 05/93 धारा 395/307/412 भादवि0 थाना मारकुण्डी
9. मु0अ0सं0 06/93 धारा 395/412/307 भादवि0 थाना मारकुण्डी
10. मु0अ0सं0 17/93 धारा 395/412/307 भादवि0 थाना सभापुर सतना
11. मु0अ0सं0 22/93 धारा 02/03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट
12. मु0अ0सं0 40/92 धारा 395/307 भादवि0 जीआरपी मानिकपुर
13. मु0अ0सं0 08/06 धारा 147/148/149/307 भादवि0 व 10/12 डीएए एक्ट
14. मु0अ0सं0 190/93 धारा 02/03 गैंगेस्टर एक्ट
15. मु0अ0सं0 32/11 धारा 110 जी थाना बहिलपुरवा
16. मु0अ0सं0 113/2020 धारा 364/302/201 भादवि0 थाना मानिकपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर
2. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी सरैंया
4. आरक्षी धर्मराज थाना मानिकपुर
5. आरक्षी यशराज थाना मानिकपुर
6. आरक्षी विवेकानन्द चौकी सरैंया
7. आरक्षी राघवेन्द्र चौकी सरैंया